

इस कमीशन की एक गोपनीयता प्रबंधन योजना है जो आपकी गोपनीयता की रक्षा के लिए उठाए गए कदमों का विस्तृत वर्णन करती है। कमीशन को जो भी जानकारी दी जाएगी उसे संबंधित कानून के अनुसार रखा जाएगा।

हालांकि शिकायत करने की कार्यविधि गुप्त रहती है, कमीशन कानूनन बाध्य है कि वह स्वास्थ्य सेवा प्रदानकर्ता को सूचित करे कि शिकायत किस प्रकार की है व शिकायत करने वाला कौन है। जब शिकायत किसी अन्य व्यक्ति की ओर से की जाती है तो कमीशन उस व्यक्ति की गोपनीयता का ध्यान रखेगा और आमतौर पर शिकायत पर कदम उठाने से पहले उस व्यक्ति की अनुमति लेगा।

यदि शिकायत रोगी के इलाज से संबंधित होगी तो कमीशन आमतौर पर रोगी की पहचान व शिकायत का विवरण दिए बिना कोई कार्यवाही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके बिना स्वास्थ्य सेवा प्रदानकर्ता प्रमाण नहीं दे पाएगा कि क्या हुआ है।

कभी-कभी लोग अपनी पहचान बताए बिना शिकायत करना चाहते हैं और यह तथ्य भी नहीं बताना चाहते कि उन्होंने शिकायत की है। यदि इस बात का पर्याप्त डर हो कि शिकायत करने वाले व्यक्ति को सताया या धमकाया जाएगा तो कमीशन उस शिकायत को गुप्त रख सकता है। यदि मामले की सही रूप से तहकीकात करने के लिए शिकायत को बताना ज़रूरी हो तो कमीशन को स्वास्थ्य सेवा प्रदानकर्ता के प्रति निष्पक्षता दिखाना आवश्यक है।

यदि शिकायत को सही प्रकार से संबोधित करने के लिए आवश्यक हो तो कमीशन निजी स्वास्थ्य जानकारी को एकत्रित, उसका उपयोग व उसे प्रकट कर सकता है। यदि शिकायत सार्वजनिक स्वास्थ्य या सुरक्षा के गंभीर मामले उठाती है तो कमीशन रोगी की अनुमति के बिना भी निजी स्वास्थ्य के इतिहास व जानकारी की माँग कर सकता है।

जिस व्यक्ति की यह जानकारी है, उसकी गुप्तता को बचाने में लोगों की रुचि की तुलना में यदि सार्वजनिक हित अधिक महत्वपूर्ण हो तो कमीशन इस शिकायत से संबंधित जानकारी न्यायलयों, पुलिस, स्वास्थ्य चिकित्सकों का नियंत्रण करने वाले अधिकारियों व अन्य संकायों को बता सकता है।

जब शिकायत करने के परिणाम से किसी व्यवसायी पर अनुशासक संस्था - किसी ट्राईब्यूनल या व्यवसायिक मानक कमेटी - के सामने अभियोग लगाया जाता है तो उस संस्था में की गई सुनवाई व उसका निर्णय दोनों को आमतौर से सार्वजनिक रूप से बता दिया जाता है। यह अनुशासक संस्था अपने निर्णय की कुछ जानकारी को दबा सकती है। आमतौर से इसे उस जानकारी को दबाने के लिए उपयोग किया जाता है जिससे रोगी की पहचान की जा सकती है।

यदि आपको अपनी गोपनीयता के बारे में कुछ पूछना है या कोई चिंता है तो कृपया कमीशन से संपर्क करें।

टेलिफोन

[\(02\) 9219 7444](tel:(02)92197444)

NSW में निःशुल्क

[1800 043 159](tel:1800043159)

फैक्स

(02) 9281 4585

ईमेल

hccc@hccc.nsw.gov.au

डाक का पता

Locked Mail Bag 18
STRAWBERRY HILLS NSW 2012

दुभाषिया सेवा

जो लोग अंग्रेजी के अलावा कोई अन्य भाषा का प्रयोग करना चाहते हैं, उन्हें टेलीफोन दुभाषिया सेवा (TIS) के नम्बर 131 450 द्वारा कमीशन से संपर्क करना चाहिए। किसी शिकायत के बारे में बातचीत करने के लिए कमीशन दुभाषिए का प्रबंध कर सकता है।

